न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी0आर0– 4109/10

11/11/2019 अभियुक्त संतोष कुमार सिंह के तरफ से हाजरी और जमानत आवेदन दाखिल है। साथ नवीन शक्ति पत्र भी दाखिल किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके जमानत पर सुना गया। अपराध का संज्ञान धारा– 279, 337, 338, 427 भा0द0वि0 के अंतर्गत लिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है अभियुक्त निर्दोष है और कोई अपराधिक कार्य नहीं किया है यह कि अभियुक्त कि संज्ञान के बाद यह प्रथम उपस्थिति है। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। यह कि अभियुक्त उचित प्रतिभू का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

सुना, अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की यह संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्त का स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। अतः तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को 5000 (पॉच हजार रूपए) के एक बंध पत्र और प्रति–भू दाखिल करने पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी

तत्पश्चात्

11/11/2019 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त संतोष कुमार सिंह से मांगे गए रकम का बंध पत्र एवं बचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक

दंडाधिकारी